वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2010

सं. 80/2010-आयकर

का.आ. 2588(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उप-धारा (2) के खंड (xii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा जीवन बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के दिनांक 23 नवम्बर, 2007 के पत्र द्वारा यथा अनुमोदित टाटा ए आई जी जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड के 'ईजी रिटायर एन्यूटी प्लान' को उक्त खंड (xii) के प्रयोजनार्थ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड के एन्यूटी प्लान के रूप में विहित करती है ।

2. यह अधिसूचना इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

[अधिसूचना सं. 80/2010/फा. सं. 178/04/2009-आ. क. नि.-I]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ. क. नि.-I)